



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222015
CG-DL-E-26092020-222015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2959]
No. 2959]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

का.आ. 3311(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2020 को ऐसी तरीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्रम संख्या	धाराएं
1.	धारा 45 ;
2.	धारा 74 ;
3.	धारा 88 ;
4.	धारा 90 ;
5.	धारा 91 के खंड (i) का उपखंड (ख)

[फा. सं. आर टी -11036/65/2019-एम वी एल (भाग 1)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2020

S.O. 3311(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 2020 as the date on which the provisions of following sections of the said Act shall come into force, namely: —

Sl. No.	sections
1.	Section 45;
2.	section 74;
3.	section 88;
4.	section 90 ;
5.	sub-clause (b) of clause (i) section 91;

[F. No. RT-11036/65/2019-MVL (Part 1)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.